कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रुखाबाद।

संख्या 5491 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक जून 01, 2014

पुलिस अधीक्षक,
फतेहगढ़।

जिले में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त मैंने फतेहगढ़–फर्रुखाबाद के अतिरिक्त जिले के समस्त कस्वों व सड़कों पर भीषण अतिक्रमण की स्थिति पायी। अतिक्रमणकारी चन्द संख्या में होते हैं परन्तु अतिक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था सार्वजनिक मार्ग का प्रयोग करने वाले सभी को होती है।

अतिक्रमण की स्थिति समाप्त किये जाने का मैंने निर्णय लिया है और नगर मजिस्ट्रेट/सभी उप जिला मजिस्ट्रेट व थानाध्यक्षों को भी अपने–अपने क्षेत्र में सक्रियता से अतिक्रमण हटाकर दुकानों के सामान को दुकान की सीमा में रखने, सड़क की सीमा में रखे गये अनाधिकृत सामान एवं अस्थाई अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही निरन्तर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त व्यवस्था हेतु नगर फतेहगढ़–फर्रुखाबाद में स्थाई पुलिस बल नगर मजिस्ट्रेट के साथ सम्बद्व करने का कष्ट करें और क्षेत्राधिकारी नगर को नगर मजिस्ट्रेट के साथ उक्त कार्य कराने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें। समस्त थानाध्यक्षों को यह भी हिदायत कर दी जाये कि उनके थाना क्षेत्र में यदि चौराहों/मार्गो पर अव्यवस्था/अतिक्रमण दिखाई पड़ता है तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष के विरूद्व प्रतिकूल टिप्पणी के निर्देश मेरे द्वारा दिये जायेंगे जो एक अशोभनीय स्थिति होगी।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद फर्रुखाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रुखाबाद।